देवराज नागर
आई.पी.एस.

परिपत्र संख्याः-डीजी- 60 /2013

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः लखनऊः नवम्बर ०9 ,2013

प्रिय महोदय/महोदया,

यह पाया जा रहा है कि व्यापारियों का सामान ट्रक में लोड करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये जाते समय अज्ञात बदमाश किसी न किसी बहाने ट्रक में सवार हो जाते हैं और कुछ दूर जाकर ड्राइवर और क्लीनर को जान से मारकर या उनके हाथ-पांव बांधकर एकांत स्थान में फेंककर सामान सहित ट्रक को लूटने में सफल हो जाते हैं। अधिकतर प्रकरण में उनके द्वारा ट्रक से सामान उतारकर ट्रक लावारिस हालत में छोंड़ दिये जाते हैं।

2. इसी प्रकार से जब ड्राइवर और क्लीनर किसी ढाबे पर ट्रक को खड़ा करके भोजन कर रहे होते हैं तो उस समय कुछ चोरों द्वारा ट्रक के पीछे से तिरपाल काटकर सामान गायब कर दिया जाता है। पिछले कुछ समय से उपरोक्त दोनों प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है।

3. मेरे संज्ञान में आया है कि माल सहित ट्रक लूट एवं चोरी की घटनाओं में व्यापारियों के समक्ष निम्नलिखित तीन तरह की समस्याएं आती हैः-

I. **प्रथम सूचना अंकित कराने के सम्बन्ध मेंः-** माल सहित ट्रक लूट अथवा चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में व्यापारियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने के लिए लाश मिलने वाले अथवा बंधे हालत में पाये जाने से सम्बन्धित जिन मामलों में थाने से सम्पर्क किया जाता है तो सम्बंधित थानाध्यक्षों द्वारा यह कहकर मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जाता है कि जिस स्थान से बदमाश ट्रक में सवार हुए थे, उस थाने में मुकदमा पंजीकृत किया जायेगा। व्यापारियों द्वारा ट्रक में सवार होने वाले स्थान से सम्बन्धित थाने से सम्पर्क किये जाने पर मुकदमा पंजीकृत न करके, यह कहा जाता है कि जहां पर लाश मिली है अथवा ड्राइवर एवं क्लीनर बँधे हालत में पाये गये है, उस थाने में मुकदमा पंजीकृत किया जायेगा। यदि किसी प्रकार मुकदमा पंजीकृत किया भी जाता है तो वह अपराध संख्या पर कायम न करके निल पर कायम कर दूसरे थाने को प्रथम सूचना रिपोर्ट भेज दी जाती है और दूसरे थाने द्वारा एक अभियोग दैनिकी(केस डायरी) का पर्चा काटकर पुनः मुकदमा कायम करने वाले थाने को मुकदमा विवेचना हेतु वापस कर दिया जाता है। इस प्रकार घटना का अनावरण, अभियुक्तगण की गिरफ्तारी और माल बरामदगी का प्रयास न करके विवेचना को एक दूसरे थाने में भेजने की कार्यवाही चलती रहती है और अभियुक्तों को बच निकलने व लूटे/चोरी किये गये माल के निस्तारण का पर्याप्त समय मिल जाता है तथा विवेचना में सफलता के अवसर बहुत कम हो जाते है।

II. **माल सुपुर्दगी के सम्बन्ध में:-** जिन घटनाओं में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के पश्चात् माल की बरामदगी हो जाती है तो उसमें भी माल को नियमानुसार व्यापारियों को वापस नहीं किया जाता है और माल को बर्बाद होने दिया जाता है।

III. **विवेचना काफी समय से लम्बित रहने के सम्बन्ध में:-** माल सहित ट्रकों की लूट एवं चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना बिना अनावरण किये काफी समय तक लम्बित रहने के कारण अंतिम रिपोर्ट के अभाव में व्यापारियों को बीमा कम्पनियों के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है।

4. अतः ट्रक सहित माल की लूट अथवां माल की चोरी होने, माल बरामदगी तथा उक्त घटनाओं पर रोक लगाने के सम्बंध में निम्नलिखित निर्देश दिये जा रहे हैं :-

I. **प्रथम सूचना अंकित किये जाने के सम्बन्ध में:-** जिस थाना क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर एवं क्लीनर की लाश मिलेगी अथवा बंधे हालत में पाये जायेंगे, घटना का मुकदमा उसी थाने पर पंजीकृत किया जायेगा तथा विवेचना उसी थाने द्वारा की जायेगी।

- माल सहित ट्रक की लूट अथवा चोरी सम्बंधी घटना का मुकदमा थाने पर न लिखने पर जनपद प्रभारी सम्बन्धित थाना प्रभारी को निलम्बित करके उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और घटना के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत करायेंगे।

II. **ट्रक सुपुर्दगी के सम्बन्ध में:-** विवेचना के दौरान ट्रक एवं माल बरामद होने की दशा में वाहन स्वामी को वाहन सुपुर्दगी में देने के लिए सम्बंधित न्यायालय से आदेश लेकर मुकदमे से सम्बंधित वाहन का समुचित पंचनामा तैयार किया जाये। वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन न0, चेचिस न0 एवं मेक आदि का विवरण अंकित किया जाये। वाहन की फोटोग्राफी कराई जाये तथा फोटो व पंचनामे पर अभियुक्त, वादी, सुपुर्दगी पर लेने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर कराया जाये। इंजन व चेसिस नं0 की फोटोग्राफी कराकर छेड़छाड़ की स्थिति स्पष्ट कर आर0टी0ओ0 कार्यालय से मिलान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय।

- सुपुर्दगी में लेने वाले व्यक्ति का आवासीय पता प्रमाण पत्र (Address Proof) लेकर बाण्ड भरवाया जाये कि उक्त वाहन को आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

III. **माल सुपुर्दगी के सम्बन्ध में:-** इसी प्रकार चोरी एवं लूटे गये माल को वादी/स्वामी के सुपुर्दगी में दिये जाने के सम्बंध में भी सम्बंधित न्यायालय से आदेश लेकर उसका विस्तृत पंचनामा तैयार कराया जाये एवं फोटोग्राफी करायी जाये तथा फोटो व पंचनामे पर अभियुक्त/वादी एवं सुपुर्दगी में लेने वाले का हस्ताक्षर कराया जाये तथा उसका आवासीय पता प्रमाण पत्र (Address Proof) लेकर रखा जाए।

- आवश्यकतानुसार नमूने के तौर पर उसमें से कुछ सामान न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए रख लिया जाये।

IV. **विवेचना निस्तारण के सम्बन्ध में:-** हर संभव प्रयास करके घटना का अनावारण किया जाये। विवेचना हर दशा में 90 दिन में पूर्ण की जाये। एवं पुलिस रिपोर्ट की कॉपी सम्बंधित वादी को उपलब्ध करा दी जाये। यह सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

सामान्य निर्देशः-

- जिन ढाबों पर ट्रकों से सामान चोरी की घटना की शिकायत प्राप्त होती हो वहां पर वर्दी/सादे में गश्त एवं पिकेट की व्यवस्था की जाये।
- माल सहित ट्रक लूट/चोरी की घटना में विगत पांच वर्ष में प्रकाश में आये अभियुक्तगण की गतिविधियों की जानकारी करके निरोधात्मक कार्यवाही की जाये। यही कार्य ऐसा चोरी का माल खरीदने वाले पेशेवर व्यक्तियों के विरूद्ध भी किया जाये।
- ट्रक से सामान चोरी एवं लूट की घटना में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक दशा में घटना का अनावरण किया जाये एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी करके माल की बरामदगी की जाये तथा गैंगस्टर अधिनियम आदि के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

9-11-13

(देवराज नागर)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद (नाम से),
उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः-</u>निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0।
2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक उ0प्र0।